

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 578]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 नवम्बर 2010—कार्तिक 12, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर, 2010

क्र. एफ. 3-14-2010-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981), की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्वारा श्रीमती शर्मिष्ठा दवे को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए संभागीय सतर्कता समिति, इंदौर संभाग का अध्यक्ष नियुक्त करती है.

No. F. 3-14-2010-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukt Evam Up-Lokayukt Adhinyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government, on the recommendation of Lokayukt, hereby appoints Smt. Sharmishtha Daway as Chairperson of the Divisional Vigilance Committee, Indore Division for a period of three years from the date of joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.